

## अभियुक्त की हाजिरी की अपेक्षा करने वाली उद्घोषणा धारा 82 Cr.PC देखिये

मेरे समक्ष परिवाद किया गया है कि अभियुक्त दीपक पासवान पुत्र श्री भीकी पता-  
आवारागर्दी, फूटपाथी, हनुमान मंदिर, जमुना बाजार, दिल्ली-110006 ने मु.अ.सं.  
03/2020 धारा 3RP(UP) Act के अन्तर्गत रेलवे सुरक्षा बल पोस्ट दिल्ली मेन के अधीन  
दंडनीय अपराध किया है (या संदेह है कि उसने किया है) और उस पर जारी किए गए  
गिरफ्तारी वारंट को यह लिख कर लौटा दिया गया है कि उक्त दीपक पासवान यहां  
नहीं रहता है और मुझे समाधानप्रद रूप में दर्शित कर दिया है कि दीपक पासवान फरार  
हो गया है (या उक्त वारंट की तामिल से बचने के लिए अपने आपको छिपा रहा है)।  
अतः इसके द्वारा उद्घोषणा की जाती है कि उक्त दीपक पासवान से अपेक्षा की जाती  
है कि वे इस न्यायालय के समक्ष (या मेरे समक्ष) उक्त परिवाद का उत्तर देने के लिए  
दिनांक **26.07.2023** को या इससे पहले हाजिर हो।

आदेशानुसार

**Chatinder Singh**

महानगर मजिस्ट्रेट

तीस हजारी कोर्ट, दिल्ली

1547/2023

ग्राहकों की सेवा में मुस्कान के साथ